

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmisc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/सप्लाई/2023 3375 दिनांक : 29/01/2023

### कार्यालय आदेश

M/s Unicure (India) Ltd, C-22,23, Sector-3, Noida-201301 को निविदा क्रमांक F.02(311)/RMSCL/PROC./DRUG/NIB-02/2021/183 DATED: 12.02.2021 के अन्तर्गत औषधि हेतु जारी लगातार तीन क्रयादेशों में फर्म द्वारा आपूर्ति नहीं की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	औषधि का नाम	निविदा क्रमांक	क्रयादेश क्रमांक/दिनांक	आदेशित मात्रा	आपूर्ति मात्रा	फर्म को दिये गये नोटिस का विवरण
1	Lysol (Cresol with Soap solution) IP (Cresol 50 o/o + Soap 50 o/o) [249]	02/2021-22	4661/14.11.2022 2050/06.07.2022 529/22.04.2022	3614 4590 5790	0 0 0	पत्रांक 10 दिनांक 04.04.2023

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर उक्तानुसार नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 18.08.2023 (प्राप्ति पत्र दिनांक 11.09.2023) की अनुशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Unicure (India) Ltd, C-22,23, Sector-3, Noida-201301 को औषधि Lysol (Cresol with Soap solution) IP (Cresol 50 o/o + Soap 50 o/o) [249] के लिए पूर्व में जारी विवर्जित (Debar) आदेश क्रमांक 1033 दिनांक 25.05.2023 की अवधि को सम्मिलित करते हुए एवं आदेश की निरन्तरता में दो वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) (दिनांक 24.05.2025 तक) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

  
(अनुपमा जोरवाल)  
आई.ए.एस.  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/सप्लाई/2023 3375 दिनांक : 29/9/2023  
निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तरप्रदेश।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/उत्तरप्रदेश।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s Unicare (India) Ltd, C-22,23, Sector-3, Noida-201301
13. गार्ड फाईल।

  
विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.